बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

जुलाई 2018

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची पेज नं.

(A) अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण 1–2

(B) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 3–5

(C) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 6–9

(D) नाविकों एवं नाव मालिकों प्रशिक्षण 10–11

(E) नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों / सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण 12

(F) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 13–14

(G) बिहार भूकम्पमापी तंत्र का प्रगति विवरण 15

(H) "Management of Animals in Emergencies" विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 16–17

(I) Mass Messaging/Whatsapp Advisory 18

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सीतामढ़ी के डुमरा प्रखण्ड में राजमिस्त्रियो का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

मासिक प्रतिवेदन (जुलाई, 2018)

(A) अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

(1) जून 2018 तक कुल 446 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया था। जुलाई 2018 में दिनांक 24 से 30 जुलाई 2018 के दौरान पटना जिला के तीन प्रखण्डों (पटना सदर, दानापुर एवं फुलवारीशरीफ) में कुल 67 राजमिस्त्रियो एवं सीतामढ़ी जिला के चार प्रखण्डों (डुमरा, परसौनी, बेलसंड एवं रून्नीसैदपुर) में कुल 133 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार जुलाई 2018 तक कुल 446+67+133 = 646 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(2) इसके अतिरिक्त दिनांक 11 से 12 जलाई 2018 को राजमिस्त्रियों के 35 प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राजमिस्त्रियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण

जुलाई 2018 में संचालित कार्यक्रमों का विवरण

Sr.	Name of Program	Date	Location	Remarks
2 days Refresher Course at BSDMA, Patna				
1.	Mason Trainer Refresher Course	11-12 July 2018	BSDMA, Patna	No. of Participants- 35
2.	**7 days mason training at 4 blocks of Sitamarhi district**			
3.	Block – Dumra	24-30 July 2018	Women I.T.I. Construction Site, Dumra.	No. of mason trained- 42
	Block – Parsauni	24-30 July 2018	Block Campus	No. of mason trained- 30
	Block – Belsand	24-30 July 2018	Block Campus	No. of mason trained- 32
	Block - Runnisaidpur	24-30 July 2018	Block Campus	No. of mason trained- 29
	7 days mason training at 3 blocks of Patna district			
	Block – Patna Sadar (Rural)	24-30 July 2018	Devi Asthan, Vill.-Devaramchak	No. of mason trained- 26
	Block – Danapur	24-30 July 2018	Block Campus	No. of mason trained- 21
	Block – Phulwarisarif	24-30 July 2018	Block Campus	No. of mason trained- 20
Total No. of Mason Trained in July 2018				**200**

(B) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) प्राधिकरण की बैठकों (10वीं एवं 11वीं) के निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी,2018 से प्रारंभ किया गया।

वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में चल रहा है। माह जून, 2018 तक कुल 509 पदाधिकारियों को 18 बैचों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। माह जुलाई 2018 में (3–4 जुलाई,2018) 19वें बैच का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया, जिसमें कुल 44 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार जुलाई माह तक कुल 557 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण को बीच में रोक कर बाढ़ प्रवण प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है।

(2) प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2018 में प्राधिकरण को दिए गए निदेशों के अनुरूप जून माह में बाढ प्रवण जिलों में स्थानांतरित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गैर–अनुभवी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अचंल अधिकारियों का प्रशिक्षण जुलाई माह से विपार्ड में प्रारंभ किया गया।

जुलाइ माह में कुल 50 प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कुल 38 अंचल अधिकारियों के पशिक्षण का आयोजन किया गया है जिसका विवरण निम्न है:–

दिनांक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		
	प्रखंड विकास पदाधिकारी	अंचल अधिकारी	कुल
17–18 जुलाई, 2018	20	06	26
24–25 जुलाई, 2018	16	11	27
31 जुलाई – 01 अगस्त, 2018	14	21	35
		कुल –	**88**

(3) आपदा पश्चात क्षति आकलन पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपदा पश्चात क्षति आकलन (Post Disaster Need Assessment), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 30–31 जुलाई, 2018 को भवन निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन, राजवंशीनगर, पटना में समपन्न किया गया।

दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, उर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 तथा बिहार शिक्षा आधारभूत संरचना लिमिटेड के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) द्वारा आपदा पश्चात क्षति आकलन विषय पर विकसित PDNA Tool को प्रायोगिक रूप से बिहार में लागू करने की योजना है। इसी योजना के तहत राज्य के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को आपदा पश्चात क्षति आकलन विषय पर राज्य में घटित आपदाओं में क्षति आकलन पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त विभागों के कुल 40 पदाधिकारियों ने भाग लिया।

(C) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की एक झलक

1. राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय गतिविधियाँ यथा, प्रत्येक जिले के मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (29 जनवरी से 19 अप्रैल) एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों क एक दिवसीय उन्मुखीकरण (14 मई से 19 मई) के पश्चात जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 21 मई से प्रारम्भ हुआ। कैमूर और औरंगाबाद जिला का छोड़कर सभी जिला में स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय कार्यक्रम जून माह में संपन्न हो गया था। कैमूर और औरंगाबाद जिलों में भी जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई माह में संपन्न हो गया है।

2. प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण

इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में विद्यालयवार फोकल शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जहाँ जून माह में सिर्फ 18 जिलों में प्रारम्भ हुआ था वहीं जुलाई माह में जिला अररिया को छोड़कर शेष सभी जिलों में प्रारम्भ हुआ। इस चरण में सभी विद्यालयों से एक–एक फोकल शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाना है।

3. संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के चौथे चरण में विद्यालयवार बाल प्रेरकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संकुल स्तर पर होना था। जुलाई माह में 22 जिलों में संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। शेष 16 जिलों से संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त में होना है।

4. विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का क्रियान्वयन

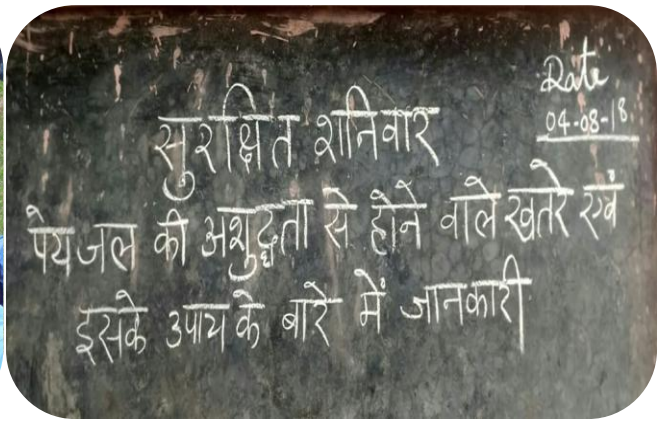

इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को बाल प्रेरकों एवं फोकल शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में आपदा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना है। जुलाई माह तक 15 जिलों में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चूका है। ये 15 जिले हैं: अरवल, बांका, भागलपुर, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, खगडिया, किशनगंज, मुंगेर, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीवान, वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण। शेष जिलों में सुरक्षित शनिवार के कार्यक्रम प्रारंभ कराने हेतु शिक्षा विभाग से लगातार संपर्क किया गया है।

5. कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए डाटा एंट्री

इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के साथ मिलकर एक डाटा फॉर्मेट भी विकसित किया गया है जिसे Google Drive के माध्यम से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। इसमें विस्तृत तौर पर विद्यालयवार फोकल शिक्षकों एवं अन्य गतिविधियों का डाटा इकठ्ठा किया जाएगा। इसी सम्बन्ध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए एक 5 पृष्ठों का फॉर्मेट भी भेजा गया है। दिनांक 19 जुलाई को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा सभी जिलों के मीडिया समन्वयकों की बैठक में डाटा एंट्री के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई जिसमें प्राधिकरण के नोडल परियोजना पदाधिकारी ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। सभी मीडिया समन्वयक को यह निर्देश दिया गया कि वे जल्द से जल्द इसमें एंट्री करना प्रारम्भ कर दें। डाटा फॉर्मेट पर डाटा एंट्री का कार्य विभिन्न जिलों के द्वारा किया जा रहा है।

6. विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा एवं विद्यालय सुरक्षा दिवस

हर वर्ष की भांति वर्ष 2018 में भी विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा (1–15 जुलाई) एवं विद्यालय सुरक्षा दिवस मनाया गया। राज्य स्तर पर विद्यालय सुरक्षा दिवस (4 जुलाई) के अवसर पर प्राधिकरण के वित्तीय सहयोग से एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन गाँधी मैदान में किया गया। इस मेगा मॉक ड्रिल कार्यक्रम में 18 स्कूलों के 6000 स्कूली बच्चों के द्वारा भूकंप से सम्बंधित मॉक ड्रिल, Pre & Hospital Treatment से सम्बंधित बच्चों द्वारा प्रदर्शन तथा अगलगी एवं सड़क दुर्घटना से सम्बंधित नुक्कड़ नाटक किया गया। इन सभी बच्चों को NDRF एवं SDRF के द्वारा मॉक ड्रिल, प्रदर्शन एवं नुक्कड़ नाटक से सम्बंधित पूर्व प्रशिक्षण दिलवाया गया था।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(D) नाविकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चयनित 29 जिला में जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से नाविकों एवं नाव मालिकों को सुरक्षित नौका चालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित हस्त पुस्तिका सभी नाविकों एवं नाव मालिकों को उपलब्ध करायी जा रही है एवं प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जाना है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार गत माह जून तक 14 जिलों के कुल 3421 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया गया था। माह जुलाई में 4 जिलों में कुल 817 नाविक एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जुलाई माह के प्रशिक्षण का विवरण निम्नांकित है:–

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रशिक्षित नाविकों एवं नाव मालिकों की संख्या
1.	खगड़िया	143
2.	मुजफ्फरपुर	388
3.	बेगूसराय	127
4.	पश्चिम चम्पारण	159
	कुल	**817**

इस प्रकार अब तक कुल 3421 +817= 4238 नाविक/नाव मालिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अनुश्रवण के दौरान सूचना प्राप्त है कि निम्नांकित 08 जिलों में भी प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है, परन्तु प्रशिक्षितों की संख्या एवं विवरणी प्राप्त नहीं हो सकी है।

क्रम संख्या	जिला का नाम
1.	पटना
2.	सारण
3.	भोजपुर
4.	लखीसराय (एक बाढ़ प्रवण ब्लॉक को छोड़कर)
5.	सिवान
6.	गोपालगंज
7.	शेखपुरा
8.	अररिया

शेष 03 जिलों, यथा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं नालंदा में इस वर्ष की संभावित बाढ के पहले नाविकों/नाव मालिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने हेतु जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

(E) नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण

नौकाओं के सर्वेक्षण एवं निबंधन हेतु विभिन्न जिलों में आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित निबंधकों/सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत जून माह तक कुल 7 बैचों में 13 (अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण) जिलों के कुल 157 निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण NINI, (गायघाट, पटना) में कराया जा चुका है। वर्तमान माह जुलाई 2018 की प्रगति निम्नवत है:–

सत्र संख्या	तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिले	स्थान	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु
1.	11.07.2018 से 13.07.2018	वैशाली	NINI गाय घाट, पटना	25
2.	25.07.2018 से 27.07.2018	सहरसा/गोपालगंज/खगड़िया		29
		कुल		**54**

इस प्रकार जुलाई माह तक 17 जिलों के कुल 157+54= 211 निबंधकों/सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(F) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

1. राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण

बिहार राज्य के बहु–आपदा के संबंध में पंचायत स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जनजागरूकता के उद्देश्य से सभी जिलों के प्रखंडों से चयनित मुखिया एवं सरपंचों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ''मास्टर ट्रेनर'' का प्रशिक्षण प्राप्त किये मुखिया एवं सरपंचों के माध्यम से जिलों में प्रखंड स्तर पर प्रखंडों के सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किया जाना है एवं किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर इस प्रशिक्षण के माध्यम से जिलों में पंचायत स्तर तक जन समुदाय को बहु आपदा के जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी और इसके द्वारा आपदाओं का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्धन हो सकेगा। इस प्रकार ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्य के अनुरूप एक ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्प को पूरा करने में मदद प्राप्त होगी।

जनवरी से जून 2018 तक मास्टर ट्रेनर के रुप में प्रशिक्षित मुखिया, सरपंचों की माह वार सूची निम्नवत है:–

माह	जिलों की संख्या	प्रशिक्षित
जनवरी	01	35
फरवरी	09	191
मार्च	04	141
अप्रैल	03	92
मई	08	199
जून	07	169
कुल	**32**	**827**

प्राधिकरण द्वारा माह जुलाई 2018 में चयनित मुखिया एवं सरपंचों को ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नुसार आयोजित किया गया है:–

क्रम	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	03–04 जुलाई , 2018	बक्सर, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, भागलपुर	34
2	09–10 जुलाई , 2018	जमुई, मुंगेर, बक्सर, कैमूर, रोहतास	30
3	16–17 जुलाई ,	बेगूसराय, लखीसराय, पूर्णिया,	58

	2018	नवादा, गोपालगंज, रोहतास, भागलपुर, खगड़िया	
		कुल	**122**

विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में उन जिलों के भी प्रतिभागी शामिल हुए जो पूर्व में अपने जिलों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस प्रकार जुलाई माह तक 25 बैचों में 38 जिलों के **827 + 122= 949** मुखिया एवं सरपंच के मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण का कार्यक्रम सम्पन्न किया जा चुका है। बिहार के सभी 38 जिलों के कुल 534 प्रखंडों से 1–1 मुखिया एवं सरपंच को मास्टर ट्रेन के रुप में प्रशिक्षित करने के कुल लक्ष्य 1068 की संख्या के विरुद्व जुलाई माह तक 949 की संख्या में प्रशिक्षित हो पाये और शेष 1068–949 = 119 की संख्या में मुखिया/सरपंच कतिपय कारणों से अनुपस्थित रहे। इन अनुपस्थित मुखिया/सरंपच की सूची जिलेवार तैयार कर ली गयी है एवं इन्हें अगस्त माह में दो बैचों क्रमशः 07–08 अगस्त, 2018 एवं 16–17 अगस्त, 2018 को बामेती में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम निर्धारित है।

2. राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा जिलों में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण

पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वितीय सहयोग दिया जा रहा है। अब तक निम्नांकित जिलों ने पखंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना प्राप्त हैः–

1. मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी, 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली 17. बांका 18. जहानाबाद 19. कटिहार 20. पश्चिमी चम्पारण।

प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षणों में प्रशिक्षितों का आकड़ा भेजने हेतु उपरोक्त जिलों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। आँकड़ा प्राप्त होने पर प्रशिक्षितों का डाटा बेस प्राधिकरण द्वारा तैया किया जाएगा।

(G) बिहार भूकम्पमापी तंत्र का प्रगति विवरण

1. भूकम्प दूरमापी तंत्र का संग्रहण केन्द्र, पटना विष्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के संबंध पटना विष्वविद्यालय एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच एक Memorandum of Understanding (MoU) हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रारूप विष्वविद्यालय के कुलपति अनुमोदन हेतु (माह जून के अन्तिम सप्ताह में) लम्बित है।

2. 10 क्षेत्रिय वेधषालाओं में से 4 वेधशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है जो बरसात के मौसम की वजह से अवरूद्ध है।

महत्वपूर्णः– बिहार भूकम्पमापी तंत्र की स्थापना हेतु बजटीय उपबंध की प्रत्याशा में कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गयी थी। किन्तु अबतक वर्ष 2018 की बजटीय विमर्श प्राधिकरण के विमुक्त नहीं हो पाने के कारण अन्य कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम की भी प्रगति अवरूद्ध हो जाने की सभावना उत्पन्न हो गयी है।

(H) ''Management of Animals in Emergencies'' विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहाँ सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती ह। यह राज्य जहाँ एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप को झेलता है वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर एवं लू इत्यादि आपदओं से भी इस राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। इन आपदाओं से मानव ही नही बल्कि पशु भी प्रभावित होते है और आपदाओं की स्थिति में मानव के साथ–साथ पशु संसाधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि कि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नही जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली पशुधन की क्षति को कम करने के लिए पशु चिकित्सकों का कौशल विकास कर तथा आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर ''आपात स्थिति में पशु प्रबंधन'' (Management of Animals in Emergencies) विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पशु चिकित्सकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार भेटनरी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में तथा World Animal Protection (WAP) और Policy Perspectives Foundation (PPF) के सहयोग से बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1–7 जून, 2018) में दिनांक 04 जून से शभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बहु–आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में किस तरह से पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जाय।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षु पशु चिकित्सकों के उपयोग हेतु एक हस्तपुस्तिका तैयार किया गया जो उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिया जाता है। प्रशिक्षण हेतु

तैयार किये गये कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक बैच में कुल 35 पश् चिकित्सक द्वारा भाग लिया जाता है। जुलाई माह तक कुल 8 बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नुसार आयोजित किया गया है–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	4–7 जून, 2018	35
2	15–18 जून, 2018	35
3	20–23 जून, 2018	35
4	27–30 जून, 2018	35
5	11–14 जुलाई, 2018	35
6	16–19 जुलाई, 2018	35
7	23–26 जुलाई, 2018	35
8	28–31 जुलाई, 2018	35
	कुल	**280**

उपर्युक्त सभी 08 बैचों में प्रशिक्षणार्थी पशुचिकित्सक मुख्यतः बाढ़ प्रभावित जिलों से थे। अब अगले प्रशिक्षण का कार्यक्रम दक्षिण बिहार के जिलों पशु चिकित्सकों के लिए करने की योजना है। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से यथाशीघ्र बैच वार सूची तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(I) Mass Messaging/Whatsapp Advisory

जुलाई माह में प्राधिकरण द्वारा **सुखाड़ से बचने के उपाय** पर लगभग छः लाख विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, आशा कर्मचारियों– 87 हजार, जीविका दीदी 1,47,000 (एक लाख सैतालीस हजार), आंगनबाड़ी सेविका–65,343 आदि लोगों को Mass Messaging के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही हैं सुखाड़ की स्थिति आने पर उसका मुकाबला किया जा सके।

सुखाड़ से बचने के उपाय

जनहित में जारी

अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए किसान भाई /बहनों को सलाह :

सुखाड़ रोधी एवं कम सिंचाई की आवश्यकता वाली फ़सलों,जैसे –मक्का,बाजरा,ज्वार की बुआई करें।

राज्य सरकार द्वारा घोषित डीज़ल अनुदान योजना का लाभ उठाऐं।

कृषि विभाग द्वारा अल्प वर्षापात से निबटने हेतु तैयार की गई आकस्मीक फसल योजना का लाभ उठाऐं।

पशुओं के लिए पानी एवं चारे की व्यवस्था कर लें।

पानी की बर्बादी रोकें एवं जल का संचयन करें।

वर्षा एवं मौसम संबंधी सूचनाओं की जानकारी रेडियो /टीवी /अख़बारों से प्राप्त करते रहें।